न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण संख्या 27/2020

गोपीराम अग्रवाल, आर0टी0आई0 रिसर्च सेंटर बांसवाड़ा राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 3–9–2020**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 9–7–2020 प्रेषित/प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र में सूचना प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने क्रमांक 405–7 दिनांक 29–7–2020 से सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को प्रेषित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 05.11.2019 को समस्त जिला कलेक्टर को परिपत्र प्रेषित किया गया। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में डी.बी. सिविल रीट पिटीशन (पीआईएल) नंबर 10819/2018 जगदीशप्रसाद मीना बनाम राजस्थान सरकार आदेश दिनांक 30.01.2019 का निम्न अवलोकनीय हैं:–

' The complaints/ representations received in the PLPC should be decided by passing speaking order, informing the respective complaint representationist about the action taken,. This would obviate the necessity of of such complainants representationsts approaching this court directly by way or public interest litigation. If this practice is put in place, this Court would not be inclined to directly entertain such public interest litigation or would do so only in the event of inaction on the part of the concerned PLPC.

अधिकांश जिला कलेक्टर महोदय ने उक्त परिपत्र को एवं माननीय न्यायालय के निर्देश को लागू नहीं किया हैं। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका में प्रस्तुत की जानी है। उक्त रीट याचिका के लिए निम्नसूचनाओं की आवश्यकता है।

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 16:02:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

1– सार्वजनिक भूमि संरक्षण सेल में आये प्रत्येक आवेदन के जिस्ट्रेशन का क्रमांक दिनांक उपलब्ध करावें।
2–प्रत्येक आवेदन पर सेल ने अन्तिम निर्णय पारित किया हो तो प्रतिलिपि उपलब्ध करावें
3– जो आवेदन विचाराधीन है उसकी नोटशीट की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धरित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक से अपील के संबंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 3344 दिनाक 2–9–2020 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट को चाही गई सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक 2767 दिनांक 11–8–2020 से जरिए डाक भिजवादी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 16:02:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner